ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 1414/2015 अनवान हाजीमुखियार बनाम फकीर मोहम्मद**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 25.05.2018 अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाड़मेर	
25.05.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम चक धोलका पटवार क्षेत्र जालीपा के खेत खसरा संख्या 122, 96 कुल रकबा 204.13 बीघा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज देदारू खान की संयुक्त खातेदारी में आई हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किये जाने हेतु वाद विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि बेचान करने तथा उनके काश्त व कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे, के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होने से प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई आधार प्रकट नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन एवं निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाड़मेर	

Scanned by CamScanner